

क्षेत्राधिकार स०र० द्वितीय, बरेली

बैनामा आवासीय प्लॉट नगरीय क्षेत्र दर भूमि / -रु० प्रति वर्ग मीटर है। जिस पर कोई निर्माण नहीं है, शत्रु नजूल चर्च वक्फ सम्पत्ति नहीं है विक्रेता व क्रेता भारतीय है, शासनादेश सं० 2756/11-2000-500/07 दिनांक 30 जून सन 2008 के अनुसार स्टाम्प अदा किया गया है सीलिंग से मुक्त है।

विक्रय मूल्य / रु० सरकारी कीमत / -रु० स्टाम्प / - रु०

मैं कि श्रीमती संगीता शर्मा पत्नी श्री प्रदीप कुमार शर्मा निवासी ए-150, नेहरू कालानी देहरादहून (उत्तराखण्ड) की हूँ विक्रेता मो०न०-

मैंने अपनी खुशी व दुरुस्ती होश व हवास में बिना किसी जबर व दबाव के खूब सोचकर व समझकर एक किता आराजी तादादी वर्ग गज यानि वर्ग मी० खसरा नम्बर 186मि० व नगर निगम नं० 6 में से वाकै उदयपुर खास, बरेली महदूदा जैल ममलूका व मकबूजा अपनी जिसको मुझ मुकिरा ने द्वारा दो किता बैनामा जात व वसीयत रजिस्ट्रीशुदा यके बैनामा जिसकी दिनांक जिल्द के पृष्ठ से में नम्बर पर कार्यालय स०र० साहब बरेली में हुई है इकरारी व दोयमी जिसकी दिनांक जिल्द के पृष्ठ से में नम्बर पर कार्यालय स०र० साहब बरेली में हुई है इकरारी व वसीयत दिनांक को वही सं के जिल्द के पृष्ठ से में नम्बर पर कार्यालय स०र० साहब बरेली में हुई है जिसपर मालिक काबिज व दखील चला आता हूँ सिवाय मेरे और कोई उक्त प्लॉट का मालिक काबिज हिस्सेदार नहीं है जो कही रहन वय वक्फ व जमानत व कुर्की व कर्जेजात सरकारी व गैरसरकारी आदि में नहीं है गर्ज की सब तरह से पाक व साफ है ऐसा ही इत्मिनान क्रेता को दिलाकर साथ सब हदूद व हकूक मिराफिक दाखली व खार्जी के विलऐवज मुवलिंग / - रुपये के बदस्त

मो०न० पेन नम्बर को बेच डाली और वय कतई कर दी जरे समन तमाम व कमाल हस्ब तफसील जैल क्रेता से वसूल पाकर आराजी मजकूर पर क्रेता को मालिकाना व काबिज व दखील कर दिया अब मेरा व वारिसान व कायम मुकामान मेरे का आराजी मजकूर पर कोई हक व मिल्क किसी किस्म का बाकी नहीं रहा और न आइन्दा को होगा वय कामिल तौर पर नाफिज हो गयी अदल बदल हो गयी यह शर्त साफ तौर पर करार पायी कि सानीउलहाल अगर कोई सहीम शरीक हिस्सेदार या किफालतदार या उज्रदार या हकदार या दाबेदार या अन्य कोई शख्स पैदा होकर दावा आराजी मजकूर की बाबत करे और उसके दावे से जुज या कुल कब्जा क्रेता से निकल जावे तो क्रेता को अख्यार वापसी जरे समन मय हर्जा व खर्चा जात व दीगर जायदाद हर किस्म मुझ वाया व जात व दीगर जायदाद हर इकसाम मेरी से हासिल होगा, विक्रीत सम्पत्ति का पूर्व में कोई बैनामा विलेख, दान पत्र, मुखयारनामा, वसीयतनामा, इकरारनामा मुहायदावय किसी अन्य के पक्ष में नहीं किया गया है विक्रीत भूमि के कब्जे व चौहददी की बावत कोई विवाद नहीं है विक्रीत सम्पत्ति से संलग्न कोई भी व्यवसायिक गतिविधि नहीं है। लिहाजा यह बैनामा कतई लिख दिया कि सनद रहे।

हदूदअर्वा-

- पूरब -
- पश्चिम -
- उत्तर -
- दक्षिण -

पैमाइश- संलग्न नक्शा बैनामा लेखानुसार है ।

घोषणा

हम पक्षकार घोषित करते हैं कि विक्रीत सम्पत्ति मूल्यांकन सूची के द्वितीय भाग क्षेत्राधिकार में वर्णित नगरीय क्षेत्र के दिये गये सीमांकन के अन्तर्गत स्थित है। मूल्यांकन सूची के पृष्ठ संख्या 40 के क्रमांक 266 बी० कोड नं० 0084 के कालम 06 में निर्धारित दर के अनुसार गणना कर स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है। प्रलेख में दिये गये विवरण की पूर्ण जिम्मेदारी हम पक्षकारों की होगी धारा 27 स्टाम्प अधिनियम का पूर्ण पालन किया गया है।

तफसील जरे समन -